



F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. 1005 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 1005**

**विषय/Sub: आयरन बेस हीट रेसिस्टेंट अलॉय: सूपरफर-696 एम (हॉट रोल्ड बार्स एंड बिलेट्स)**

**Iron Base Heat Resistant Alloy: SUPERFER – 696M**  
**(Hot Rolled Bars and Billets)**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड, कंचनबाग पी.ओ, हैदराबाद - 500 058 द्वारा विकसित और उत्पादित, "आयरन बेस हीट रेसिस्टेंट अलॉय: सूपरफर-696 एम (हॉट रोल्ड बार्स एंड बिलेट्स)" को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1005, दिनांक 09 सितंबर 2003, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1005 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1005/1आर, दिनांक 03 अक्टूबर 2008 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जो कि 30 जून 2013 तक वैध था।

*This is to state that the "Iron Base Heat Resistant Alloy: SUPERFER – 696M (Hot Rolled Bars and Billets)", developed and manufactured by M/s. Mishra Dhatu Nigam Limited, Kanchanbagh P.O, Hyderabad – 500 058, was issued with Type Approval No. 1005 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1005, Dated: 09<sup>th</sup> September 2003 and subsequently Renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1005/1R, Dated: 03<sup>rd</sup> October 2008 and was valid up to 30<sup>th</sup> June 2013.*

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मई 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन(3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (मेटीरियल्स), हैदराबाद - 500 058, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01<sup>st</sup> May 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> June 2021 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Materials), Hyderabad – 500 058, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.*

सं./No. : सेमिलैक/ CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1005/2R

दिनांक/Date : 16 May 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

*16/05/16*

*Phural*

पी जयपाल /P.JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)